परमेश्वरलाल / अल्ट्राटेक सीमेंट

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है, इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आ[illegible] ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 8.7.24 को पेश हों।	
8.7.24	पत्रावली पेश वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तक्मील तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *